राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

"Investigation of Cases U/S 498 – A IPC"

दिनांक 06.11.2017 से 10.11.2017 तक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 06.11.2017 से 10.11.2017 तक **'Investigation of Cases U/S 498 – A IPC'** विषय पर पॉच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 15 निरीक्षक पुलिस एवं 30 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 45 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में श्री एम.एम.अत्रे, आई.जी.पी. (सेवानिवृत्त) ने धारा 498-ए आईपीसी के अन्तर्गत अपराध को गठित करने वाले आवश्यक तत्वों, डायन प्रथा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर विस्तृत चर्चा करते हुए 498-ए आईपीसी के संकल्पनात्मक और कानूनी ढांचे पर व्याख्यान दिया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. वाद में पारित दिशा निर्देशो पर व्याख्यान देते हुए धारा 498-ए आईपीसी के सम्बन्ध में अन्य न्यायिक निर्णयों में पारित मार्गदर्शन बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की।

श्रीमती लाडकुमारी जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित दिशा निर्देशो की पालनार्थ गठित परिवार कल्याण समिति का गठन व धारा 498-ए आईपीसी सम्बन्धी मामलों में परिवार कल्याण समिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत चर्चा की।

श्रीमती देवयानी भाटी, प्रोफेसर लॉ कॉलेज, जयपुर ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए दहेज को गठित करने वाले तत्व व दहेज से

सम्बन्धित मामलों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पालन किये जाने वाले विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में बताया।

श्री आलोक शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक (क्राईम एण्ड विजिलेन्स) जयपुर ने धारा 498-ए आईपीसी से सम्बन्धित पत्रावलियों के सुपरविजन करने के दौरान ध्यान रखने योग्य बिन्दूओं व अनुसंधान अधिकारी द्वारा 498-ए के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चाधिकारियों द्वारा दिये आदेशो को मध्येनजर रखते हुए अपनाई जाने वाली अनुसंधान प्रक्रिया पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

श्री महेश कुमार, उप निरीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर ने धारा 498-ए आईपीसी से सम्बन्धित मामलों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया संबंधी कानूनी प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाद में पारित दिशा-निर्देशों पर व्याख्यान देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 पर विस्तृत चर्चा की।

श्री लाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रिटायर्ड) ने न्यायिक निर्णयों के परिपेक्ष्य में धारा 498-ए आईपीसी के विधिक पहलूओं के क्रियान्वयन करने संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

प्रतिभागियों को जयपुरिया हॉस्पिटल, जयपुर में संचालित अपराजिता सेन्टर का भ्रमण करवाया गया जहां पीड़ित महिला को एक ही स्थान पर विधिक सहायता, मेडिकल सहायता, काउन्सलिंग द्वारा सहायता प्रदान करने सम्बन्धित विषय पर प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

श्री आवेश सिंह, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने धारा 498-ए आईपीसी से सम्बन्धित मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने व मामले के पक्षकारों के कथन लेखबद्ध करने एवं साक्ष्य संकलन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।

श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला एवं पुलिस के सम्पर्क में आने वाली पीड़ित महिलाओं के लिए विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रियाएं समझायी।

श्रीमती रेणुका पामेचा, प्रोफेसर (रिटायर्ड) द्वारा महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र द्वारा पति व पति के नातेदारों द्वारा कारित क्रूरता की शिकार महिला की सहायता उपलब्ध करवाने संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए, जयपुर द्वारा धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का सृजन करने वाले आवश्यक तत्व, परिवार कल्याण कमेटी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से सम्बन्धित प्रावधानों पर व्याख्यान दिया।

प्रतिभागियों को मोर्डन वुमन पुलिस स्टेशन, गांधी नगर, जयपुर का भ्रमण करवाया गया जहां प्रतिभागियों को महिला डेस्क पर संधारित रजिस्टर की विभिन्न प्रविष्टियों व घरेलू हिंसा रिपोर्ट सम्बन्धित कानून प्रावधानों पर जानकारी प्रदान की गयी।

डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक, आरपीए, जयपुर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-बी की परिभाषा, दहेज मृत्यु के अपराध को गठित करने वाले तत्वों एवं अनुसंधान सम्बन्धी जानकारी दी।

श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने धारा 498-ए आईपीसी से संबंधित मामलों में चार्जशीट फाईल करने संबधी कानूनी प्रावधानों विषय पर व्याख्यान दिया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री मोहन लाल लाठर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स, जयपुर ने 498-ए आईपीसी की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए धारा 498-ए आईपीसी के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भो एवं अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया। उन्होने प्रतिभागियों को प्रमाण-प्रत्र वितरित किये गये कार्यक्रम के अन्त में मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हुए प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोर्स के संचालन सहभागियो एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।